

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
का0आ0सं0-भवन/विधि-विविध-51/2010(पार्ट-1) 324 /पटना, दिनांक- 18/12/17
कार्यालय आदेश

श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, उपसचिव-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावी पूर्ण क्रियान्वयन हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

—(रविशंकर चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

— सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:- 18/12/17

ज्ञापांक:- 11358 (बि)

प्रतिलिपि:-अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी(मुख्यालय)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0मैनेजर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

विभाग